

श्रेयस्क,

गारुबी-उभास्कर,
शक्ति,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्यिक अनुभाग-2

तख्तक दिनांक 29 मार्च, 1995

विषय: - रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त "मोलवी"/"मुंशी" एवं आतिम परीक्षा की राज्याधीन सेवाओं में शर्ती हेतु मान्यता।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन नियोच्य रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित परीक्षाओं को उनके सम्मुख अंशित विज्ञापन के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में शर्ती हेतु प्रयोजनों के लिये मान्यता दिये जाने की स्वीकृति सद्यः प्रदान करते हैं:-

प्रयोज्य-वक्त्र का नाम

1. मोलवी (अरबी)
2. मुंशी (फारसी)

मान्यता का स्थल

रिज. पदों पर हाईस्कूल/
ग्रे. क्लेस स्तर की शर्तों
आवश्यक हों, उन पर निश्चित
के प्रयोजन के लिये मान्यता।

3. जाति

ऐसे जहाँ पर विपुलता के लोचनके
जिसे जिन पर इन्होंने विष्ट स्तर की
अहंता आकांक्ष थी।

ःवदीप,

आरती आरकर
सचिव।

संख्या: 07/1/95 11 कागिड-2, पृष्ठिकांक


प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आकांक्षित आकांक्षी

हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राजपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, अरबी फारसी परीक्षाओं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निबंधक, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ।
5. आपुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
8. समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, सार्वजनिक उद्योग वपुरी विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिव, अधीनस्थ सेवा इकाई आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सचिव, विधान सभा/परिसर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिवानुप के समस्त अनुभागा।

आरती आरकर

निर्माण हेतु प्राधिकृत



जमीन अधिकारी

विशेष कार्य अधिकारी

कार्य विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

आरती आरकर

सचिव।

File No. 42012/13/2007- Estt.(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment.(D) Section

New Delhi, the 23rd February, 2010

Office Memorandum

Subject: Recognition of Certificates/Qualifications Issued by State Madarsa Education Boards for the purpose of employment under the Central Government.

The undersigned is directed to say that the Central Government has accepted the following recommendations relating to equivalence and the guiding principles that should be in place for grant of such equivalence to the various examinations conducted by the Madarsa Boards of the country with those of the main stream Boards of Secondary and Senior Secondary Education for the purpose of Higher Education as the case may be:

- (i) The Madarsa seeking equivalence need to affiliate themselves with the corresponding State Madarsa Board.
- (ii) In a state which has no functioning Madarsa Board the Madaras existing in that state may affiliate themselves to the Madarsa Board of any other neighbouring state, so that the students enrolled in Madaras do not face any difficulty in their attempt at horizontal and vertical mobility and employment.
- (iii) The certificates/qualifications of the Madarsa Board which have been granted equivalence by the corresponding State Board of Education to that of their Secondary and Senior Secondary qualifications may be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Boards of School Education in India (COBSE) and/or by any other School Examination Board, for the purpose of employment.

The Government of India, in consultation with Ministry of HRD have decided to recognize the certificates/qualifications issued by the following state Madarsa Education Boards for the purpose of employment under the Central Government:-

S.No.	Name of the Board	Examination Conducted	Equivalence to Classes
1.	Bihar State Madarsa Education Board, Patna, Bihar.	Wastania Fauquanla Maulvi	VIII X XII
2.	West Bengal Board of Madarsa Education, Kolkata, West Bengal.	High Madrasa, Alim Fazil	X XII

Contd...

3.	Chhattisgarh Madarsa Board, Raipur, Chhattisgarh.	Urdu Adib, Urdu Mahir, Urdu Moullim, High School Patrachar Pathyakram Adim Higher Secondary Patrachar Pathyakram	X XII
4.	Madhya Pradesh Madarsa Board, Bhopal, MP	Middle Urdu Adeeb, Urdu Mahir, Urdu Moullim, Maulvi, Madhyamik Alim, Higher Secondary	VIII X XII
5.	UP Madarsa Education Board, Lucknow, UP	Munshi, Moulvi Alim	X XII

A.K. Srivastava
(A.K. Srivastava)

Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of Government of India

Copy to :-

1. President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Supreme Court/Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/UPSC/CVC/C&AG/Central Administrative Tribunal (Principal Bench), New Delhi
2. All attached/subordinate offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
3. Secretary, National Commission for Minorities
4. Secretary, National Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes
5. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi
6. All Staff Side Members of the National Council (JCM)
7. NIC, DOPT for uploading on website
8. Establishment (D) Section - 100 Copies

उत्तर प्रदेश शासन

विद्यालय विभाग

संख्या- 820/15-7-11341/95

तारीख : दिनांक : 7 मार्च, 1995

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में सुरक्षा जांचवाली करने के लिए
रिपोर्ट बनाना आवश्यक और समीचीन हो गया है,

अतएव, राज्यपाल महोदय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921
संबन्धित प्राचिन अधिनियम संख्या- 2, 1921 की धारा- 9 की उपधारा 141
के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश
द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों में निम्न प्रकार संशोधन
किये जाने की सहमति प्रदान करते हैं :-

CS

Handwritten notes:
जय श्री
नगर
10/3/95

*परिषद विनियमों के अध्याय चौदह के विनियम 21701 के

बाद निम्नलिखित वटा दिया जाय :-

21711 रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षा, उत्तर प्रदेश, आहालाट
द्वारा संघानित गौली परीक्षा- अरबी और फ़ारसी परीक्षा- फारसी

Page 228

परिषद विनियमों के अध्याय बारह के विनियम 17141101 के बाद
निम्नलिखित वटा दिया जाय :-

17141101 रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षा, उत्तर प्रदेश,
आहालाट द्वारा संघानित आरिमा परीक्षा

Page 202

Photo Copy attached

Signature
REG. ST. A.
& ...
U. P. ...

अज्ञात से,
Signature
...
...

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

के

आयोग नाम संज्ञक

Page 228

हिन्दू पब्लिशिंग हाउस

संख्या- 020121/15-7-11301/95 तददिनांक

प्रतिनिधि संयुक्त निदेश, राजकीय प्रेस, शेरशाह, लखनऊ को
सा ज्ञापन से प्रेषित कि कृपया जो उत्तर प्रदेश अध्यापन मंडल के विधापी
परिशिष्ट भाग-4 सन्ध 1 का में दिनांक 7 मार्च, 1995 में प्रकाशित करें।
सा संघ में शिक्षा संवित्तभाष्यमिका का अनुमोदन प्राप्त कर तिया गया
है। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतिवाँ अनुभाग अधिकारी, शिक्षा
171 अनुभाग को संपादन कराने का कस्ट करें।

आज्ञा से,
अधीक गरीबी
उप सचिव।

संख्या- 020121/15-7-11301/95 तददिनांक

- प्रतिनिधि नियमितियों को सूचार्थ को आचरणक कार्यवाही
- वे प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/झांझावाट।
 - 2- शिक्षा निदेशक एवं सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद, 3090, लखनऊ।
 - 3- निदेशक, राज्य कैथिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 4- शिक्षा निदेशक मेरिडा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/झांझावाट।
 - 5- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, झांझावाट।
 - 6- सचिव, अरबी फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, झांझावाट।

आज्ञा से,
अधीक गरीबी
उप सचिव।

Photo copy attested.

[Signature]
REGISTRAR,
Arabic & Persian Examinations,
U. P. LUCKNOW.